क्रम-संख्या–251

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहपतिवार, 26 सितम्बर, 2013

आश्विन 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1038/79-वि-1–13-1(क)11-2013

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

2-यह 6 जून, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) सरकार का प्रमुख सचिव/
सचिव, पशुपालन विभाग -पदेन सदस्य"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान् उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में गो-सेवा आयोग की स्थापना करने के लिये उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1999) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में उक्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। उक्त धारा में मूलतः यह व्यवस्था की गयी थी कि सरकार का सचिव, पशुपालन विभाग, आयोग का पदेन सदस्य होगा और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2007) द्वारा उक्त धारा में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा और आयोग का उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त आयोग का कुशलतापूर्वक कार्य संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धारा को संशोधित करके यथोक्त पहले की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाये।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जून, 2013 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

No. 1038(2)/LXXIX-V-1–13-1(ka)11-2013

Dated Lucknow, September 26, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sansodhan) Adhiniiyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013.

THE UTTAR PRADESH GO SEVA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

(U.P. ACT NO. 17 OF 2013) [

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 6, 2013.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 15 of 1999

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) In sub-section (1) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely :—

'(a) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department	*Ex-officio Member"*

(b) In sub-section (2) *for* the word "Vice-Chairperson" the words "Chairperson and the Vice-Chairperson" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 7 of 2013

3. (1) The Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 15 of 1999) has been enacted to provide for the establishment of a Go Seva Ayog in Uttar Pradesh for the preservation and welfare of the cow and its progeny. Section 4 of the said Act provides for the constitution of the said Ayog. Originally the said section provided that the Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department shall be the *ex-officio* member of the Ayog and the Chairperson and the Vice-chairperson of the Ayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members. By the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (U.P. Act no. 9 of 2007) the said section was amended to provide that the Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Department shall be the *ex-officio*

Chairperson and the Vice-chairperson of the Ayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members. With view to ensuring the efficient working of the said Ayog it was decided to amend the said section to enforce the old provisions as stated above formerly.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 7 of 2013) was promulgated by the Governor on June 6, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 447 राजपत्र(हि0)-2013-(957)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 78 सा0 विधा0-2013-(958)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

147 RPH Go-Seva-2013 Data 2 Vid-13